राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 944वी बैठक दिनांक 10.03.2026 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 944वी बैठक दिनांक 10.03.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/680/2024	1(a)	खरगौन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	P2/678/2024	1(a)	खरगौन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
3.	P2/336/2024	1(a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	P2/323/2024	1(a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	P2/1478/2025	1(a)	कटनी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
6.	P2/1479/2025	1(a)	कटनी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
7.	P2/2245/2026	1(a)	पन्ना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
8.	P2/2246/2026	8(a)	मुरैना	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
9.	P2/2247/2026	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
10.	P2/2248/2026	8(a)	शाजापुर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
11.	P2/1172/2025	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

12.	P2/1678/2025	1(a)	शिवपुरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
13.	P2/2102/2025	1(a)	सीहोर	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	11216/2023	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
15.	9131/2022	1(a)	मुरैना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
16.	P2/2250/2025	1(a)	धार	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
17.	P2/1799/2025	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	P2/960/2024	1(c)	छिन्दवाड़ा	सिचाई परियोजना	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
19.	P2/1083/2025	1(a)	झाबुआ	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
20.	P2/2215/2025	1(a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 944वी बैठक दिनांक 10.03.2026 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No.SIA/MP/MIN/518271/2025 Case No. P2/680/2024Prior Environment Clearance for Badgaon-2 (Khodu-Bharu) Sand Mine, in area of 10.000 Hectare, for production capacity of 30000 cum per annum, at Khasra No. 64, 65 & 67 in Village -Badgaon, Tehsil Kasrawad, District -Khargone (MP) by Shri Himmat Sisodia, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, DistrictBhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ..... The Hon,ble Supreme Court Order dated 22/08/2025 directs for carrying out replenishment study in case of sand mining. The Parivesh portal document available does not contain any technical details fulfilling replenishment study point of view. Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lack of Replenishment Study..
In line of compliance of the Hon'ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done wrt replenishment study from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc."

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में **SEAC** ने **EC** की अनुशंसा नहीं की है। **SEAC** के अनुसार **Replenishment Study** अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने **Replenishment Study** की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में **SEIAA** के समक्ष **EC Reject** करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण **SEAC** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि **Replenishment Study** में जो खामिया है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं **SEIAA** को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं **SEAC** में प्रस्तुतीकरण के दौरान **SEAC** द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2. **Proposal No. SIA/MP/MIN/518435/2025 Case No. P2/678/2024 Prior Environment Clearance for Badgaon-3 Sand Mine, in area of 9.000 Hectare, for production capacity of 30000 cum per annum, at Khasra No. 176,177,178,179,189,190 in Village -Badgaon, Tehsil-Kasrawad, District -Khargone (MP) by Shri Himmat Sisodia, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, DistrictBhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ..... The Hon,ble Supreme Court Order dated 22/08/2025 directs for carrying out replenishment study in case of sand mining. The Parivesh portal document available does not contain any technical details fulfilling replenishment study point of view. Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lack of Replenishment Study..
In line of compliance of the Hon'ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done wrt replenishment study from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc."

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में **SEAC** ने **EC** की अनुशंसा नहीं की है। **SEAC** के अनुसार **Replenishment Study** अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने **Replenishment Study** की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में **SEIAA** के समक्ष **EC Reject** करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण **SEAC** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि **Replenishment Study** में जो खामिया है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं **SEIAA** को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं **SEAC** में प्रस्तुतीकरण के दौरान **SEAC** द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

3. **Proposal No.SIA/MP/MIN/520869/2025, Case No. P2/336/2024Prior Environment Clearance for Sand Mine, in an area of 11.170 Hectare, for Production Capacity of 122000 cum per annum, Khasra No. 1713, 2278, 2435, in Village - Bharaulikala , Tehsil - Mehgaon, District - Bhind (MP) by Shri Ramakant Pandey, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

"------ Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lack of Replenishment Study.

In line of compliance of the Hon,ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done wrt replenishment study from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc.."

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में **SEAC** ने **EC** की अनुशंसा नहीं की है। **SEAC** के अनुसार **Replenishment Study** अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने **Replenishment Study** की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में **SEIAA** के समक्ष **EC Reject** करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण **SEAC** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि **Replenishment Study** में जो खामिया है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं **SEIAA** को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं **SEAC** में प्रस्तुतीकरण के दौरान **SEAC** द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

4. Proposal No. SIA/MP/MIN/480662/2024, Case No.P2/323/2024 Prior Environment Clearance forSand Mine in an area of 10.000 Hectare, for Production Capacity of 71000 cum per annum, at Khasra No.- 1420, in Village - Goram 1420 , Tehsil - Mehgaon, District - Bhind (MP) by Shri Ramakant Pandey, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

"------ Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lack of Replenishment Study.

In line of compliance of the Hon,ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done wrt replenishment study from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc.."

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में **SEAC** ने **EC** की अनुशंसा नहीं की है। **SEAC** के अनुसार **Repienishment Study** अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने **Replenishment Study** की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में **SEIAA** के समक्ष **EC Reject** करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण **SEAC** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि **Replenishment Study** में जो खामिया है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं **SEIAA** को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं **SEAC** में प्रस्तुतीकरण के दौरान **SEAC** द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

5. **Proposal No. SIA/MP/MIN/566041/2026, Case No. P2/1478/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area 1.2 ha., for Production capacity of 36052 cum per annum, at Khasra No. 142, Village Badagaon, Tehsil – Barhi, District – Katni (M.P.) by Shri Ranjan Grover, Lessee, Civil Lines, Near Rest House No. 1, P.O. and District katni (MP)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **869वी बैठक दिनांक 12.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 869वी बैठक दिनांक 12.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 3317-18 दिनांक 14.03.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.03.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

6. **Proposal No.SIA/MP/MIN/566332/2026, Case No. P2/1479/2025Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 1.43 ha., for production capacity of 43776 cum per annum, at Khasra No. 198/1, 198/2 & 200, Village- Badagaon, Tehsil – Barhi, District – Katni (M.P.) by Shri Ranjan Grover, Lessee, Civil Lines, Near Rest House No. 1, P.O. and District katni (MP)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **869वी बैठक दिनांक 12.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 869वी बैठक दिनांक 12.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 3320-21 दिनांक 14.03.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.03.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

7. **Proposal No. SIA/MP/MIN/562696/2025, Case No. P2/2245/2026Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.9 ha., for production capacity of Gitti- 50000 cum per annum, M-Sand-50000 cum per annum & Boulder-1000 cum per annum, at Khasra No. 1010, Village- Padraha TehsilAjaigarh District Panna (M.P.) by Shri Ajay Singh Yadav, Owner, Village-DareraManaur, Post-NMDC, Tehsil-Panna, District Panna (MP)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **869वी बैठक दिनांक 12.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान में काफी संख्या में पेड़ दिखाई दे रहे है जबकि SEAC द्वारा प्रकरण के कार्यवाही विवरण में 08 पेड़ खनन क्षेत्र में मौजूद है का उल्लेख किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रश्नाधीन खदान क्षेत्र में कुल कितने पेड़ है, किस प्रजाति के है तथा पेड़ों के संरक्षण के लिये क्या उपाय किये गये है के संबंध वास्तविक जानकारी जिला कलेक्टर पन्ना से अभिप्रमाणित करवाकर 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

8. **Proposal No. SIA/MP/INFRA2/562239/2025; Case No. P2/2246/2026; Prior Environment Clearance for Construction of Mega Industrial Project of Container Glass Manufacturing Plant "AGI Greenpac Limited", at Plot No. 1, Survey Nos. 62, 64,65, 66, 94, 95, 96, 1004 & 1005, Mawai Industrial Area Morena, Village-Mawai, Tehsil-Banmore, District- Morena (M.P.) by M/s AGI Greenpac Limited, Total Project Area 270234.41 Sqm. (27.023441Ha.) Built up Area – 95834 Sq.m. by Shri Mukesh Kumar Agrawal (VP), Plot No. 1, Survey Nos. 62, 64, 65, 66, 94, 95, 96, 1004 & 1005, Mawai Industrial Area–Morena, Village-Mawai, Tehsil-Banmore, District-Morena (M.P.)- 452252.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 869वी बैठक दिनांक 12.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उक्त परियोजना मेसर्स **"AGI Greenpac Limited"** द्वारा औद्योगिक शेड **(Industrial Shed)** के निर्माण हेतु प्रस्तावित है यह परियोजना **Plot No-1, Survey No- 62, 64, 65, 66, 94, 95, 96, 1004 एवं 1005, मवई औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–मवई, तहसील–बानमोर, जिला–मुरैना (म.प्र.) में स्थित है। यह प्रस्ताव मेसर्स AGI Greenpac Limited** की ओर से श्री मुकेश कुमार अग्रवाल (VP) द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल क्षेत्रफल **(Total Plot Area) 270234.41** वर्गमीटर तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल **(Built-up Area) 95834** वर्गमीटर है जो **1,50,000.00 sq.m** से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति **(SEAC)** की 869वी बैठक दिनांक 12.02.2026 में "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 16 से 29 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Information Required	Details
1.	**Project Name**	Proposed Construction of Mega Industrial Project of Container Glass Manufacturing Plant by AGI Greenpac Limited.
2.	**Activity in the complex**	Industrial Shed

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3.	**Project Cost.**	85000 Lakhs.
4.	**Project Lat./Long.**	26°21'14.39"N latitude and 78°15'34.60"E longitude.
5.	**Description of Project.**	Obtaining Environmental Clearance for the proposed Industrial Shed of M/s AGI Greenpac Limited located at Plot No. 1, Survey Nos. 62, 64, 65, 66, 94, 95, 96, 1004 & 1005, Mawai Industrial Area–Morena, Village-Mawai, Tehsil-Banmore, District- Morena (M.P.)
6.	**MOA details**	Date 22 April 2022.
7.	**SPCB Comments/ CTE/CTO Validity.**	PCB ID: 172318, Consent No: CTE-63359, Outward No:124130,17/11/2025, Consent to Establish up to 31/10/2030. Container Glass Bottles- 200750 MT. Industrial shed (Built-up Area)- 95834 Sqm.
8.	**High Rise Permission details.**	Endt No. 994/High-rise/T&CP/2025 Indore dt. 10/03/2025.
9.	**Water NOC.**	Undertaking dated 01/01/2026 (Regarding water supply MPIDC)
10.	**MSW NoC details.**	PP submit affidavit dt. 17/12/2025.
11.	**Extra Treated water NoC.**	PP submit affidavit dated 17/12/2025.
12.	**Water Requirement & Sources**	Total Water Requirement: 423 KLD Fresh Water Requirement: 183 KLD Treated/Recycled Water Requirement: 240 KLD
13.	**Sewage Treatment & Disposal**	STP Capacity: 100 KLD Sewage Discharge: 33 KLD of water will be obtained after the recycling of wastewater out of which 15 KLD shall be utilized for the purpose of flushing, and 18 KLD in green area. ETP Capacity- 260 KLD
14.	**STP details.**	Proposed sewage treatment plant is designed to treat (1 x 37 KLD) of sewage. MBR technology
15.	**Proposed green area @ 10 %**	27023.44 m2
16.	**Number of vehicle to be parked.**	Open Parking: 609 ECS.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

17.	**DG set capacity details.**	1500x2 KVA Total Capacity-3000 KVA.
18.	**Rain water Harvesting Pits.**	48 No.
19.	**Environmental Consultant details.**	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 02/07/2026.

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)की 869वीं बैठक दिनांक 12.02.2026 की अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 944वीं बैठक दिनांक 10.03.2026 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्न बिंदु i से ix को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. **यह पर्यावरणीय स्वीकृति केवल प्रस्तावित औद्योगिक शेड (Industrial Shed) के निर्माण हेतु प्रदान की जा रही है।**

ii. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

iii. परियोजना के जलापूर्ति के लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।

iv. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

v. परियेाजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

vi. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

vii. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

viii. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

ix. प्रस्तावित भवन में संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

9. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/561187/2026; Case No. P2/2247/2026 Prior Environment Clearance for Construction of "Hotel Taj" by Manikaran Commercials Private Limited at Plot B-82, Scheme No. 151, Super Corridor, Village - Bada Bangarda, Tehsil Malharganj, District Indore (M.P.). Total Built-up Area 59,250.6 sq.mt., Plot Area 17,547.25 sq.mt., by Shri Karan Singh Chhabra, Director, Manikaran Commercials Private Limited, 1-A-D Chhabra House, Scheme No. 74- C, Indore, Distt. – Indore (M.P.)- 452010.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 869वी बैठक दिनांक 12.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश **पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में** निम्नानुसार निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रस्तुत High Rise Permission की प्रति/अनुमति पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त अनुमति में दिनांक एवं डिस्पैच नंबर अंकित नहीं है अतः High Rise Permission की हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।
2. परियोजना हेतु Landscaping Layout Plan स्थानीय प्रजातियों (Local Tree Species) की सूची सहित प्रस्तुत करें।

राज्य स्तरीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण के परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार उपरोक्त बिन्दु क्रं. 1 एवं 2 की जानकारी एवं प्रमाण पत्र 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा। तदानुसार **परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

10. **Proposal No. SIA/MP/INFRA2/566133/2026; Case No. – P2/2248/2026 Prior Environment Clearance for Construction of Industrial Shed "Ramco Industries Limited (Board Division) at Plot No. 1-A MPIDC Area, A.B. Road Maksi, District-Shajapur (M.P.), The site is situated along Asian Highway 47 (AH-47). Total Plot area 1,44,500 sq.mt. (14.45 Ha.), Total Built-up area 28,124 sq.mt. (Industrial Shed) by Shri Sanjay Kumar Nema, General Manager (Works), M/S Ramco Industries Limited, Plot No. 1 -A MPIDC Area, A.B. Road Maksi, District -Shajapur (M.P.) – 465106.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 869वी बैठक दिनांक 12.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. उक्त परियोजना मेसर्स "**Ramco Industries Limited (Board Division)**" द्वारा औद्योगिक शेड (**Industrial Shed**) के निर्माण हेतु प्रस्तावित है यह परियोजना **Plot No. 1-A MPIDC Area, A.B. Road Maksi, District-Shajapur (M.P.)** में स्थित है। यह प्रस्ताव मेसर्स **Ramco Industries Limited** की ओर से श्री संजय कुमार नेमा, जनरल मैनेजर (वर्क्स) द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना का कुल क्षेत्रफल (**Total Plot Area**) 1,44,500 वर्गमीटर तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल (**Built-up Area**) 28,124 वर्गमीटर है, जो **1,50,000.00 sq.m** से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 869वी बैठक दिनांक 12.02.2026 में "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 27 से 39 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Information Required	Details
1.	**Project Name/Activity.**	Prior Environment Clearance for Construction of Industrial Shed "Ramco Industries Limited (Board Division) by M/s Ramco Industries Limited", at Plot No. 1-A MPIDC Area, A.B. Road Maksi, District-Shajapur (M.P.) **Total Plot area – 1,44,500 sq.m, Total Builtup area - 28,124 sq.m (Industrial Shed).**

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2.	**Project Cost.**	180 Lakhs.
3.	**Project Lat./Long.**	23°14'55.21"N latitude and 76° 8'59.99"E longitude.
4.	**Description of Project.**	M/s Ramco Industries Limited is proposing to replace the old Fibre Cement Pressure Pipe Plant located at Maksi, Madhya Pradesh, with a new Calcium Silicate Boards & Light Weight Tiles, Fibre Cement Boards & Tiles, Non-Asbestos Panels and Non- Asbestos Cement Products (Roofing Sheets, Building Boards and Accessories) manufacturing line at Plot No. 1-A MPIDC Area, A.B. Road Maksi, District -Shajapur (M.P.) The site is situated along Asian Highway 47 (AH-47).
5.	**Land Document Registration details.**	Sub Registrar office, Shajapur dated 23/09/2021.
6.	**SPCB Comments/ CTE/CTO Validity.**	PCB ID: 158644, Consent No:CTE-63710, Outward No:129280,22/01/2026, Consent to Establish upto 31/12/2030, Fiber Cement Board, Calcium Silicate Board & Tiles, Building Board Panel & ACC.- 60,000.0 M.T Industrial Shed (Built-up Area)- 28,124.0 Square Meter.
7.	**Maximum Height.**	12.5 m.
8.	**Water NOC details.**	MPIDC/RO/Ujjain/2025/4584 Ujjain issued vide letter no. Ujjain dated 16/12/2025.
9.	**MSW NoC details.**	MPIDC/RO/Ujjain/2025/4583 Ujjain issued vide letter no. Ujjain dated 16/12/2025.
10.	**Extra Treated water NoC**	MPIDC/RO/Ujjain/2025/4583 Ujjain issued vide letter no. Ujjain dated 16/12/2025.
11.	**Water requirement details**	Total Water Requirement: 500 KLD Fresh Water Requirement: 491 KLD Flushing Water Requirement: 9 KLD.
12.	**DG set capacity details.**	4 DG sets of total capacity 750 KVA and 1 DG sets of total capacity 380 KVA (Total Capacity 3380KVA).
13.	**Rain water Harvesting Pits.**	4 No.
14.	**Proposed green area @ 36.92%**	50,600 m^2
15.	**Environmental Consultant details.**	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 02/07/2026.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 869वी बैठक दिनांक 12.02.2026 की अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 944वीं बैठक दिनांक 10.03.2026 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्न बिंदु i से x को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. **यह पर्यावरणीय स्वीकृति केवल प्रस्तावित औद्योगिक शेड (Industrial Shed) के निर्माण हेतु प्रदान की जा रही है।**

ii. **परियोजना स्थल पर मौजूद वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं काटा जाएगा।**

iii. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

iv. परियोजना के जलापूर्ति के लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।

v. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

vi. परियेाजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

vii. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

viii. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

ix. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

x. प्रस्तावित भवन में संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

11. Proposal No. SIA/MP/MIN/548487/2025 Case No. P2/1172/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 3.00 ha., for production capacity of 55,000 m3/year, at Khasra No.- 122/3, Village - Karami, Tehsil - Mada District - Singrauli (M.P.) by Smt. Sarika Alawa W/o Shri Shyam Alawa, R/o- 5/4, New V.I.P. Road, Kohefiza, Bhopal,District- Bhopal, (M.P.) – 462001.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **869वी बैठक दिनांक 12.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान में काफी संख्या में पेड़ दिखाई दे रहे है जबकि SEAC द्वारा प्रकरण के कार्यवाही विवरण में 40 पेड़ खनन क्षेत्र में मौजूद है का उल्लेख किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रश्नाधीन** खदान क्षेत्र में कुल कितने पेड़ है, किस प्रजाति के है **तथा पेड़ों के संरक्षण के लिये क्या उपाय** किये गये है के संबंध वास्तविक जानकारी जिला **कलेक्टर सिंगरौली से अभिप्रमाणित करवाकर 15 दिवस में परिवेश** पोर्टल पर **अपलोड की जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा।** तदानुसार परियोजना **प्रस्तावक को सूचित किया जावे।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

12. Proposal No. SIA/MP/MIN/557428/2025, Case No. P2/1678/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area 3.00 hectare, for production capacity of Stone (Gitti) 1,00,000 m3/year & M-Sand 10,00,00 m3/Year, at Khasra No. 855, 856, Village - Garetha, Tehsil-Pichhore, District- Shivpuri (M.P.) by Smt. Sarita Golkar W/o Shri Sonu Golkar, R/o-Anmol Apartment Professor colony Huzur Bhopal, (M.P.) – 462002

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **869वी बैठक दिनांक 12.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 869वी बैठक दिनांक 12.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी द्वारा आदेश क्र. 646 दिनांक 29.04.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.04.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **केनाल/बरहा से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 944वी बैठक दिनांक 10.03.2026 का कार्यवाही विवरण

13. Proposal No. SIA/MP/MIN/555229/2025 Case No. - P2/2102/2025 PriorEnvironment Clearance for Murrum Quarry (opencast semi mechanized method), in an area 2.200 ha., for Producation Capicity of 19,012 m3/Year, at Khasra No. 401/1, Village - Rafiqueganj, Tehsil - Sehore, District - Sehore (M.P.) by Shri Neeraj Parmar, Village - Rafiqueganj, Tehsil - Sehore, District - Sehore (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **869वी बैठक दिनांक 12.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 869वी बैठक दिनांक 12.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर द्वारा आदेश क्र. 1088 दिनांक 28.04.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.04.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

14. Proposal No.SIA/MP/MIN/565385/2026, Case No. 11216/2024 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha., for Production Capacity of 17,140 Cubic Meter/ Year, at Khasra No. 270, Village- Deokaliya,Tehsil- Rajnagar District Chhatarpur (M.P.) by Smt. Urmila Pateria W/o Shri Deshraj Pateria, R/o Hanuman Toria Ke Piche, Ward No. 39, Vakayan Marg, District Chhatarpur (MP) regarding transfer of EC in the name of Gangele Enterprises LLP, Kokta, Near Essar Petrol Pump Bhopal (M.P.).

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 870वी बैठक दिनांक 17.01.2026 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

..... The application for EC transfer is made well within 12 months hence committee finds it fit to recommend for transfer of EC and forward SEIAA for necessary orders. It is mentioned that the cases of EC transfer applied well within one year period need not to be routed through SEAC, this may be brought to the notice of MoEF&CC for necessary correction in the Parivesh Portal..

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 870वी बैठक दिनांक 17.02.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Smt. Urmila Pateria W/o Shri Deshraj Pateria, R/o Hanuman Toria Ke Piche, Ward No. 39, Vakayan Marg, District Chhatarpur (MP)** के नाम **Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha., for Production Capacity of 17,140 Cubic Meter/ Year, at Khasra No. 270, Village- Deokaliya,Tehsil- Rajnagar District Chhatarpur (MP)** की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक **Gangele Enterprises LLP, Kokta, Near Essar Petrol Pump Bhopal (M.P.)** के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. **Identification No. - EC24B001MP157373** दिनांक 21.06.2024 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता यथावत रहेगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तो अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तो का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

15. Proposal No. SIA/MP/MIN/565487/2025 Case No. - 9131/2022 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 2.0 hectares, For Producation Capicity of 30,000 Cubic meters per year, at Khasra No. – 1244, Village - Urhana, Tehsil - Morena (Banmore), District – Morena (M.P.) by Shri Vinay Jain S/o Shri Padam Chand Jain, R/o 303 Badrivishal Plaza Road, Highcourt Gird, District Gwalior (MP) regarding transfer of EC in the name of Shri Rahul Sharma, Partner, M/s Om Shri Nath Ji Stone Crusher, R/o - Bilaua, Tehsil - Dabra,Distt - Gwalior (M.P.) – 475001

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 870वी बैठक दिनांक 17.01.2026 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

..... The application for EC transfer is made well within 12 months hence committee finds it fit to recommend for transfer of EC and forward SEIAA for necessary orders. It is mentioned that the cases of EC transfer applied well within one year period need not to be routed through SEAC, this may be brought to the notice of MoEF&CC for necessary correction in the Parivesh Portal..

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 870वी बैठक दिनांक 17.02.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Shri Vinay Jain S/o Shri Padam Chand Jain, R/o 303 Badrivishal Plaza Road, Highcourt Gird, District Gwalior (MP)** के नाम **Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 2.0 hectares, For Producation Capicity of 30,000 Cubic meters per year, at Khasra No. – 1244, Village - Urhana, Tehsil - Morena (Banmore), District – Morena (MP)** की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक **Shri Rahul Sharma, Partner, M/s Om Shri Nath Ji Stone Crusher, R/o - Bilaua, Tehsil - Dabra,Distt - Gwalior (M.P.) – 475001** के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. **Identification No. - EC22B001MP161470** दिनांक **18.06.2022** में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता यथावत रहेगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तो का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

16. Proposal No. SIA/MP/MIN/554932/2026Case No. P2/2250/2026 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 1.0 Ha., For Producation Capicity of 15000 cum/year, at Khasra No. 643/1/3, R/o-Village- Khandwa,Tehsil-Pithampur, District Dhar(M.P.) by Shri Pappu Choudhary, Lessee, village Khandwa, Dist-Dhar, (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **870वी बैठक दिनांक 17.02.2026 एवं 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 870वी बैठक दिनांक 17.02.2026 एवं 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार द्वारा आदेश क्र. 219 दिनांक 30.01.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29.01.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 944वी बैठक दिनांक 10.03.2026 का कार्यवाही विवरण

17. Proposal No.: SIA/MP/MIN/542035/2025, Case No. P2/1799/2025 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 ha., for production capacity of 7500 cum per year, at Khasra No. 463/1, Village- Mundadi, Tehsil Malhargarh District- Mandsaur (MP) by Shri Ummed Parihar, R/o Sindpan, Tehsil Malhargarh, Dist.-Mandsaur (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **824वी बैठक दिनांक 02.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 917वी बैठक दिनांक 01.12.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

'' प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत लीज स्वीकृति आदेश 2577 दिनांक 16.10.2017 में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदाने जिनका कुल रकबा 7.00 हेक्टेयर है का उल्लेख किया गया है जबकि एकल प्रमाण पत्र कमांक 581 दिनांक 12.04.2024 में 500 मीटर की परिधि में 01 उत्खनन पट्टा रकबा 2.00 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है। प्रकरण में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के दोनो ही पत्र विरोधाभाषी है। लीज स्वीकृति आदेशानुसार उक्त प्रकरण बी–1 श्रेणी का परिलक्षित है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत कलेक्टर जिला मंदसौर से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की वस्तुस्थिति 15 दिवस में प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 25.02.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 824वी बैठक दिनांक 02.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 19.01.2018 के माध्यम से दिनांक 05.01.2028 तक लीज की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.01.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन'** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जावे।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

18. Proposal No. SIA/MP/RIV/551326/2025; Case No. P2/960/24; Prior Environment Clearance For Shakkar Pench Link Combined Project Phase-I (Hard Dam) Tehsil Amarwara District Chhindwara (M.P.). CCA- 31,839 Ha., The Submergence Area Under The Dam is Estimated As 1,087 Ha. Shri D. S. Thakur, Chief Engineer, Office of The Chief Engineer,Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Project, Bargi Hills, Jabalpur, Distt. - Jabalpur, (M.P.) 482001.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 959वी बैठक दिनांक 10.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उक्त प्रकरण **Shakkar Pench Link Combined Project Phase-I (Hard Dam)** तहसील–अमरवाड़ा, जिला–छिंदवाड़ा (म.प्र.) के अंतर्गत 31,839 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र (CCA) को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव श्री डी. एस. ठाकुर, मुख्य अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता, रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना, बरगी हिल्स, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना अंतर्गत 31,839 हेक्टेयर (सीसीए) क्षेत्र को सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है यह परियोजना **Major Irrigation System (≥ 10,000 ha)** के अंतर्गत आती है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार परियोजना को श्रेणी–1(C) के अंतर्गत नदी घाटी/सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 959वी बैठक दिनांक 10.01.2026 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 144 से 162 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Information Required	Details
1.	**Project Name**	Prior Environment Clearance For Shakkar Pench Link Combined Project Phase I (Hard Dam) Tehsil Amarwara District Chhindwara (M.P.). CCA- 31,839 Ha.,

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2.	**Description of Project**	The Shakkar Pench Link Combined Project Phase I (Hard Dam) is proposed on River Hard a tributary of River Shakkar at Tehsil/Block Harrai District- Chhindwara (M.P.) to provide pressurized pipe irrigation in 31,839 ha of CCA in Tehsil - Amarwara District – Chhindwara(M.P.). The submergence area under the dam is estimated as 1087 Ha.
3.	**ToR details**	➢ TOR Identification No. TO24B0502MP5578885N ➢ File No. P2/960/2024. ➢ SIA/MP/RIV/472148/2024. ➢ ToR Recommended in 762nd SEAC Meeting Dated 03/06/2024. ➢ ToR letter issued dated 06/02/2025.
4.	**Type of Irrigation**	Lift
5.	**Type of Irrigation (Flood/Drip)**	Drip.
6.	**CCA details**	31,839 Ha
7.	**River details**	Hard a tributary of River Shakkar
8.	**Forest Clearance details**	भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त स्टेज–1 फॉरेस्ट क्लीयरेंस FP/MP/HYD/IRRIG/483015/2024 Dt: **31/12/2025**
9.	**SPCB Comments/CTE details.**	Outward No: 123953, 22/10/2025, Consent No: 63200.
10.	**DFO letter details**	कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश issued vide letter no. 826 dated 03/03/2023.
11.	**EMP/ Env. Con**	R. S. Envirolinks Technologies Pvt. Ltd.Gurgaon (Haryyana).

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा **ADS reply** के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति **(SEAC)** की **959**वी बैठक दिनांक **10.01.2026** की, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)**की **944**वीं बैठक दिनांक **10.03.2026** में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्न बिंदु **i** से **vi** को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को **EIA** अधिसूचना **2006** एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

i. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitive area forest area से संबंधित समय –समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करे।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग की जाये ।

iii. बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में परियोजना प्रस्तावक को पंप हाउस के उचित संचालन के लिए आवश्यक सौर पैनल स्थापित करने का प्रावधान करना चाहिए।

iv. यदि संचालन अवधि के दौरान दलदली भूमि का निर्माण होता है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।

v. परियोजना प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुशंसित ई–प्रवाह को हर समय संबंधित बैराजों के तत्काल नीचे की ओर बनाए रखा जाना E-flow चाहिए। E-flow को छोड़ने के बाद शेष पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

vi. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

19. Proposal No. SIA/MP/MIN/554224/2025, Case No. P2/1083/2025 Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method) in an area of 4.00 ha., for production capacity of Stone 34,200 cum/annum & Murum 18,000 cum/annum, at Khasra No. 52/2, at Village Bheemfaliya, Tehsil & District Jhabua (M.P.) by Shri Pritam Katara, Lease Owner, R/o- 28, Juni rambhapur District Jhabua (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **845वी बैठक दिनांक 17.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 917वी बैठक दिनांक 01.12.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में ग्राम भीमफलिया के ग्रामवासियों द्वारा खसरा नम्बर 52/2 पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गई अनापत्ति के संबंध में ई–मेल दिनांक 11.01.2026 के माध्यम से समाचार पत्रों की प्रति एवं संलग्न दस्तावेजों सहित शिकायत प्राप्त हुई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्राप्त शिकायत की प्रति जिला कलेक्टर झाबुआ को प्रेषित की जाये तथा जिला कलेक्टर झाबुआ द्वारा शिकायत के बिन्दुओं का परीक्षण कर वास्तविक तथ्यों की वस्तुस्थिति से प्राधिकरण को 15 दिवस में अवगत कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 28.02.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 845वी बैठक दिनांक 17.11.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ द्वारा आदेश क्र. 1368 दिनांक 27.11.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.11.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ii) **प्रकरण में प्राप्त शिकायत दिनांक 10.03.2026 एवं प्राधिकरण द्वारा कलेक्टर जिला झाबुआ को पत्र क्र. 1612 दिनांक 02.02.2026 के माध्यम से प्रेषित शिकायत पत्र में उल्लेखित समस्त बिन्दुओं के निराकरण के संबंध में कलेक्टर जिला झाबुआ से सत्यापन करवाकर जानकारी SEIAA को प्रेषित करने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **रहवासी क्षेत्र/आबादी स्ट्रक्चर से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(vi) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(vii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(viii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(सिंह नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ix) **क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।**

(x) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।**

(xi) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xvi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

20. Proposal No. SIA/MP/MIN/561178/2025 Case No. – P2/2215/2025 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.620 Ha., for production capacity of 8,550 Cubic meter/year, at Khasra No. 20, Village Narela, Tehsil Rehti, District Sehore (M.P.) by Shri Vishvanath Khandelwal, R/o H. No. 200, Malibayan Main Road Rehti Near Petrol Pump Rehti Dist. Sehore (M.P.) 466446

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **863वी बैठक दिनांक 23.01.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 917वी बैठक दिनांक 01.12.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. *DEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों के अनुसार सी.ई.आर गतिविधि के अंतर्गत क्या–क्या कार्य किये गये है के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।*
2. *किस प्रजाति के कितने पौधों का रोपण कहां–कहा किया गया है के फोटोग्राफ अक्षांश देशांश के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये है एवं बैरियर जोन में वृक्षारोपण भी परिलक्षित नहीं हो रहा है।*
3. *वर्तमान में खदान में कितनी गहराई तक खनन कार्य किया गया है का उल्लेख अनुपालन प्रतिवेदन में नहीं है।*
4. *लीज क्षेत्र के चारो ओर फेंसिंग परिलक्षित नहीं है।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा दस्तावेज एवं फोटोग्राफ अक्षांश देशांश के साथ प्रस्तुत किये जाये एवं DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वर्तमान स्थिति के आधार पर 15 दिवस में प्रस्तुत किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 03.03.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 863वी बैठक दिनांक 23.01.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर आदेश क्र. 1233 दिनांक 12.03.2024 के माध्यम से दिनांक 23.02.2034 तक लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.02.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची रोड़ एवं प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) **अध्यक्ष**

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें (भवन निर्माण के प्रकरणों हेतु)

परिशिष्ट –1

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–

   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

   c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।

4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।

5. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.

7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.

8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network

9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.
10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.
11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.
12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.
13. **For firefighting:-**
    a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required .2016fire fighting arrangement shoud be made avilable onthe project site as per NBC
    b. The occupancy permit shall be issued by MunicipalCorporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.
    c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises
14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.
15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.
16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping
17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.
18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.
19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.
20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.
21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.
23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - http://www.environmentclearance.nic.in/ or http://www.efclearance.nic.in/ and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also

25. The Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report. Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, GoI at Bhopal and MPPCB.

26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.

28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.

29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.

30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.

31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal.

33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें (नदी घाटी/सिंचाई परियोजना के अंतर्गत)

परिशिष्ट–2

i. A grievances redress mechanism should be devised by WRD GoMP and put in place so that aggrieved PAFs and other stakeholders may approach the Authority easily for resolution of any dispute/conflict.

ii. PP shall ensure that, land required for the proposed project is acquired and possession is taken only after payment of compensation to the land holders as per the provision of the Right to fair compensation and transparency in land acquisition Act amended from time to time.

iii. A monitoring Committee for R & R shall be constituted which shall include representatives of project affected persons including representative from Sc/ST.

iv. No additional land shall be used/acquired for any activity of the project without obtaining proper permission.

v. PP to take utmost precaution for health and safety of the people working in the project as also for protecting the environment.

vi. In the event of the failure of any pollution control system adopted by the project proponent, the project shall be immediately put out of operation and shall not be restarted until the desired efficiency has been achieve.

vii. A detailed scheme for rainwater harvesting shall be prepared and implemented to recharge ground water.

viii. To enhance the natural environmental quality & aesthetics of project site, plantation, as proposed in the EMP Report shall be undertaken in the proposed area. Allocated grant for this purpose shall be fully utilized separately and not to be diverted for any other purpose.

ix. Occurrence of stagnant pools/slow moving water channels during construction and operation of the project may provide breeding source for vector mosquitoes and other parasites. The river should be properly channelized so that no small pools and puddles are allowed to be formed. Even after taking precaution, due to unforeseen situations, breeding of mosquito and resultant malaria or mosquito borne diseases can increase. If such a situation arises, it will be the responsibility of project authorities to take all steps i.e. residual insecticidal spray in all the project area and surrounding 3 km. Area keeping the flight range of mosquitoes in

consideration. Also medical assistance to be provided to the affected people at the cost of the developer and appropriate health benefits may be initiated with the help of State Health Department.it is recommended that contractors should enforce standards, recommended by Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

x. Regular monitoring of water quality (Surface and Ground) including heavy metals shall be undertaken in the project area and around the project area to ascertain the change, if any, in the water quality due to leaching of contaminants, if any, from the increased use of chemical fertilizers and pesticides.

xi. PP should ensure the pumps and pump house building are designed in such a way that outside noise levels will not exceed the CPCB standards.

xii. As alternate source of power PP should ensure to install required solar panels to proper running of Pump house.

xiii. The budgetary provisions for implementation of EMP, shall be fully utilized and not to be diverted to any other purpose. In case of revision of the project cost or due to price level change, the cost of EMP shall also update proportionately.

xiv. If marshy land create during operation period the adequate measure should be taken by PP.

xv. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM issued vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 25 February 2021, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility and Environmental Management Plan.

xvi. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F. No. 22-65/2017-IA.III dated lst May 2018 regarding Corporate Environment Responsibility. The activities under CER shall be worked out as per the para no. (V) of the aforesaid OM and shall be restricted to the affected area around the project. The entire activities under CER shall be treated as project and shall be monitored. The monitoring report shall be submitted to the regional office as a part of half-yearly compliance report and to a District Collector.

xvii. PP needs to comply the OM dated 24.07.2024 of MoEFCC, where it is stated that the plantation of saplings shall be carried out in the earmarked 33% greenbelt area as part of the tree plantation campaign " EK Ped Ma ke

Naam" (and the details of the same shall be uploaded in the MeriLife portal (https://merilife.nic.in).

xviii. The validity of the Environmental Clearance (EC) extends up to 13 years to the start of production operations or the commissioning of the project. The EC's validity becomes perpetual if production operations commence on or before the specified date. Should the Project Proponent fail to initiate production operations within the EC validity period, an application for an extension must be submitted to the regulatory authority, in accordance with Para 9.0 of the EIA Notification, 2006, as amended.